IJCRT.ORG ISSN : 2320-2882

INTERNATIONAL JOURNAL OF CREATIVE RESEARCH THOUGHTS (IJCRT)

An International Open Access, Peer-reviewed, Refereed Journal

भारत में प्रधानमंत्री की संवैधानिक और वास्तविक शक्तियों का विश्लेषणः एक अध्ययन

[1]डॉ बबीता, [2]आशीष

[1]शोधनिर्देशिका, सहायक प्रोफेसर, राजनीति विज्ञान एवं लोक प्रशासन विभाग, बाबा मस्तनाथ विश्वविद्यालय, अस्थल बोहर, रोहतक।

[2]शोधार्थी, राजनीति विज्ञान एवं लोक प्रशासन विभाग, बाबा मस्तनाथ विश्वविद्यालय, अस्थल बोहर, रोहतक।

सारांशः

भारत के संसदीय लोकतंत्र में प्रधानमंत्री देश के प्रशासनिक तंत्र की धुरी और सबसे प्रभावशाली पद पर आसीन होता है। संविधान के अनुसार, प्रधानमंत्री को कार्यपालिका का प्रमुख माना गया है, लेकिन उनकी शक्तियों और प्रभाव का आकलन करने के लिए संवैधानिक और वास्तविक दोनों पहलुओं पर विचार करना आवश्यक है। यह अध्ययन भारत के प्रधानमंत्री की संवैधानिक भूमिका और व्यवहारिक शक्तियों के बीच संतुलन को समझने का प्रयास करता है। संवैधानिक दृष्टि से, प्रधानमंत्री की शक्तियां भारतीय संविधान के अनुच्छेद 74 और 75 में निहित हैं। वे राष्ट्रपति के अधीन मंत्रिपरिषद का नेतृत्व करते हैं और उन्हें राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है। जैसे, जवाहरलाल नेहरू और इंदिरा गांधी के कार्यकाल में प्रधानमंत्री की भूमिका असाधारण रूप से शक्तिशाली थी। इसके विपरीत, गठबंधन सरकारों के दौर में प्रधानमंत्री की शक्तियां सीमित हो जाती हैं, जैसा कि 1990 के दशक में देखा गया। हालांकि प्रधानमंत्री की शक्तियां व्यापक हैं, उन्हें कई संवैधानिक और लोकतांत्रिक सीमाओं का भी सामना करना पड़ता है। राष्ट्रपति, सुप्रीम कोर्ट, और संसदीय प्रणाली उनके निर्णयों पर नियंत्रण रखते हैं। इसके अलावा, मीडिया, नागरिक समाज और विपक्षी दल भी उनकी शक्तियों को संतुलित करने में भूमिका निभाते हैं। जो संवैधानिक और व्यवहारिक दोनों स्तरों पर गहराई से जुड़े हुए हैं। प्रधानमंत्री के अधिकार और उनकी सीमाएं भारतीय लोकतंत्र के संतुलन और स्थिरता को बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। प्रस्तुत शोधपत्र में भारत में प्रधानमंत्री की संवैधानिक और वास्तविक शक्तियों का विश्लेषणः एक अध्ययन किया जाएगा।

मुख्य शब्दः भारत, प्रधानमंत्री, संविधान,संवैधानिक स्थिति।

परिचय:

भारत में प्रधानमंत्री की संवैधानिक स्थिति संसदीय लोकतंत्र के केंद्रीय स्तंभ के रूप में स्थापित है। भारतीय संविधान के अनुसार, प्रधानमंत्री देश की कार्यपालिका का प्रमुख होता है और राष्ट्रपति को सलाह देने वाली मंत्रिपरिषद का नेता होता है। अनुच्छेद 74 और 75 के अंतर्गत प्रधानमंत्री की भूमिका और उनकी नियुक्ति का उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद 74(1) के अनुसार, राष्ट्रपति को उनके कार्यों और निर्णयों के लिए मंत्रिपरिषद की सहायता और सलाह लेना अनिवार्य है, जिसका नेतृत्व प्रधानमंत्री करते हैं। प्रधानमंत्री राष्ट्रपति और मंत्रिपरिषद के बीच एक सेतु के रूप में कार्य करते हैं। वे मंत्रियों का चयन करते हैं और राष्ट्रपति को नियुक्ति के लिए सिफारिश करते हैं। इसके अतिरिक्त, प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद के कामकाज का समन्वय करते हैं और नीतिगत फैसलों में नेतृत्व प्रदान करते हैं। प्रधानमंत्री संसद में सरकार का प्रतिनिधित्व करते हैं और नीति–निर्धारण में प्रमुख भूमिका निभाते हैं। वे लोकसभा में बहसों का नेतृत्व करते हैं और सरकार की नीतियों को संसद के समक्ष प्रस्तुत करते हैं। प्रधानमंत्री की भूमिका राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी महत्वपूर्ण होती है। वे विदेश नीति को निर्धारित करते हैं और वैश्विक मंचों पर भारत का नेतृत्व करते हैं। हालांकि प्रधानमंत्री की शक्तियां व्यापक हैं, वे राष्ट्रपति के संवैधानिक अधिकार, न्यायपालिका की स्वतंत्रता और संसदीय जवाबदेही के अधीन होती हैं। इस प्रकार, प्रधानमंत्री का पद भारतीय लोकतंत्र का केंद्रबिंदु है, जो संवैधानिक प्रावधानों और व्यवहारिक शक्ति के संतुलन पर आधारित है।

संवैधानिक प्रावधानों के तहत प्रधानमंत्री की शक्तियां:

भारत का प्रधानमंत्री देश की कार्यपालिका का प्रमुख होता है और संसदीय लोकतंत्र के सबसे महत्वपूर्ण पदों में से एक है। संविधान में प्रधानमंत्री की शक्तियों का उल्लेख विशेष रूप से किया गया है। ये शक्तियां उन्हें सरकार के संचालन में केंद्रीय भूमिका प्रदान करती हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 74, 75 और अन्य प्रावधानों के तहत प्रधानमंत्री की शक्तियों को स्पष्ट रूप से परिभाषित किया गया हैं।

1.मंत्रिपरिषद का नेतृत्व (अनुच्छेद 74)

प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को सलाह देने वाली मंत्रिपरिषद के प्रमुख होते हैं। अनुच्छेद 74(1) के अनुसार, राष्ट्रपति अपने सभी कार्य प्रधानमंत्री और उनकी मंत्रिपरिषद की सलाह पर करते हैं। यह सलाह राष्ट्रपति के लिए बाध्यकारी होती है। इस प्रकार प्रधानमंत्री कार्यपालिका का प्रमुख बनते हैं।

2. मंत्रियों की नियुक्ति और पदभार (अनुच्छेद 75)

प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद के गठन में केंद्रीय भूमिका निभाते हैं।

राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति करते हैं और प्रधानमंत्री की सिफारिश पर ही अन्य मंत्रियों को नियुक्त किया जाता है। प्रधानमंत्री यह तय करते हैं कि किसे कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री या उपमंत्री बनाया जाएगा। वे मंत्रियों के विभागों का आवंटन करते हैं और मंत्रिपरिषद के बीच समन्वय स्थापित करते हैं। प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद की बैठकों का नेतृत्व करते हैं और सरकार की नीतियों को दिशा प्रदान करते हैं। वे सरकार

की प्राथमिकताओं और नीतियों का निर्धारण करते हैं और उनका कार्यान्वयन सुनिश्चित करते हैं। प्रधानमंत्री संसद में सरकार का प्रतिनिधित्व करते हैं। वे लोकसभा में बहसों का नेतृत्व करते हैं और सरकार की नीतियों को प्रस्तुत करते हैं। प्रधानमंत्री के पास संसद में सरकार को स्थिर बनाए रखने की जिम्मेदारी होती है। संसद में विश्वास प्रस्ताव और अविश्वास प्रस्ताव का सामना करने में वे सरकार की अगुवाई करते हैं। प्रधानमंत्री राष्ट्रपति के प्रमुख सलाहकार होते हैं। वे राष्ट्रपति को सभी महत्वपूर्ण नीतिगत निर्णयों और प्रशासनिक मुद्दों की जानकारी देते हैं। इसके अलावा, वे राष्ट्रपति को संसद भंग करने और चुनाव की सिफारिश करने का अधिकार भी रखते हैं। प्रधानमंत्री भारत की विदेश नीति के निर्माण और क्रियान्वयन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। वे अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों में भारत का प्रतिनिधित्व करते हैं, विदेशी नेताओं के साथ वार्ता करते हैं, और द्विपक्षीय तथा बहुपक्षीय संबंधों को मजबूत करने का कार्य करते हैं। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े मामलों में महत्वपूर्ण निर्णय लेते हैं। वे राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद (National Security Council) के प्रमुख होते हैं और सैन्य नीतियों के निर्धारण में मुख्य भूमिका निभाते हैं। आपातकाल के दौरान प्रधानमंत्री का नेतृत्व सरकार को स्थिर और प्रभावी बनाए रखने में निर्णायक होता है। प्रधानमंत्री को संविधान के तहत कई उत्तरदायित्व निभाने होते हैं। वे संसद के प्रति जवाबदेह हैं।

प्रधानमंत्री की वास्तविक शक्तियां:

प्रधानमंत्री की वास्तविक शक्तियां उनके संवैधानिक अधिकारों से कहीं अधिक व्यापक होती हैं। भारतीय लोकतंत्र में प्रधानमंत्री न केवल कार्यपालिका का प्रमुख होता है, बल्कि सरकार की नीतियों और प्रशासन के हर पहलू को प्रभावित करता है। उनकी वास्तविक शक्तियां कई कारकों, जैसे संसदीय बहुमत, व्यक्तिगत करिश्मा और राजनीतिक परिस्थितियों पर निर्भर करती हैं। यदि प्रधानमंत्री के पास लोकसभा में मजबूत बहुमत हो, तो वे नीतिगत फैसलों में स्वतंत्र रूप से काम कर सकते हैं। मजबूत बहुमत प्रधानमंत्री को संसद में सरकार की स्थिति को मजबूत बनाए रखने और विवादास्पद कानूनों को पारित करने में सहायक होता है। जैसे, जवाहरलाल नेहरू और नरेंद्र मोदी जैसे प्रधानमंत्रियों ने अपने बहुमत के आधार पर मजबूत नेतृत्व स्थापित कियझं प्रधानमंत्री की शक्तियां उनके व्यक्तित्व और राजनीतिक करिश्मे से भी जुड़ी होती हैं। करिश्माई नेता न केवल अपनी पार्टी पर प्रभाव डालते हैं, बल्कि जनता और अन्य राजनीतिक दलों पर भी उनका गहरा प्रभाव पड़ता है। इंदिरा गांधी का नेतृत्व इसका प्रमुख उदाहरण है, जिन्होंने अपनी राजनीतिक सूझबूझ और दृढ़ता से सरकार को नियंत्रित किया। प्रधानमंत्री विदेश नीति और राष्ट्रीय सुरक्षा के मामलों में भी प्रभावी भूमिका निभाते हैं। वे अंतरराष्ट्रीय मंचों पर भारत का प्रतिनिधित्व करते हैं और राष्ट्रीय हितों को सुनिश्चित करते हैं। इसके अलावा, प्रधानमंत्री का निर्णय–उंापदह संकट के समय, जैसे युद्ध या आपातकाल, अत्यधिक महत्वपूर्ण हो जाता है। हालांकि, गठबंधन सरकारों के दौर में प्रधानमंत्री की शक्तियां सीमित हो जाती हैं, क्योंकि उन्हें विभिन्न दलों के समर्थन और समझौतों पर निर्भर रहना पड़ता है। कुल मिलाकर, प्रधानमंत्री की वास्तविक शक्तियां उनके संवैधानिक अधिकारों, संसदीय स्थिति और नेतृत्व क्षमताओं के साथ राजनीतिक परिस्थितियों के संतुलन पर आधारित होती हैं।

अध्ययन के उद्देश्यः

1. भारत में प्रधानमंत्री की संवैधानिक स्थिति का अध्ययन करना।
2. भारत में प्रधानमंत्री की वास्तविक शक्तियों का अध्ययन करना।

साहित्यिक सर्वेक्षणः

1. बी. एल फढ़िया (2020),"भारतीय शासन एवं राजनीति", एक उत्कृष्ट पुस्तक है, जो भारतीय संविधान, राजनीति और प्रशासन की गहन समझ प्रदान करती है। यह पुस्तक भारतीय लोकतांत्रिक ढांचे, चुनाव प्रक्रिया और विभिन्न संवैधानिक संस्थाओं की कार्यप्रणाली को सरल और प्रभावी तरीके से प्रस्तुत करती है। इसमें केंद्र–राज्य संबंध, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका की भूमिकाओं पर विस्तृत चर्चा की गई है। प्रतियोगी परीक्षाओं के छात्रों के लिए यह एक अनमोल संसाधन है।
2. ए.पी. अवस्थी (2020),"भारतीय शासन एवं राजनीति", लेखक ए.पी. अवस्थी, भारतीय राजनीति और प्रशासन को सरल और व्यापक रूप से प्रस्तुत करता है। यह पुस्तक राजनीतिक विचारधाराओं, भारतीय संविधान, संघीय ढांचे, केंद्र–राज्य संबंधों, और पंचायती राज जैसी विषयों को विस्तार से कवर करती है। लेखक ने भारतीय लोकतंत्र की विशेषताओं, चुनौतियों और विकासशील पहलुओं पर भी प्रकाश डाला है। भाषा स्पष्ट और सटीक है, जिससे यह छात्रों और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वालों के लिए उपयोगी बनती है।
3. पुखराज जैन (2022),"भारतीय शासन एवं राजनीति", एक उत्कृष्ट पुस्तक है, जो भारतीय राजनीतिक व्यवस्था, संविधान और शासन प्रणाली की गहन जानकारी प्रदान करती है। यह पुस्तक सरल भाषा में लिखी गई है, जिससे यह छात्रों और शोधार्थियों के लिए उपयोगी बनती है। इसमें भारतीय संविधान के मूलभूत ढांचे, कार्यपालिका, न्यायपालिका, और विधायिका के कार्यों को स्पष्ट रूप से समझाया गया है।
4. शैलेंद्र सेंगर (2022),"भारतीय शासन एवं राजनीति", भारतीय राजनीति और प्रशासन की बारीकियों को सरल भाषा में प्रस्तुत करती है। यह पुस्तक संविधान, संघीय व्यवस्था, केंद्र–राज्य संबंध, और विभिन्न संस्थानों की कार्यप्रणाली पर विस्तृत जानकारी देती है। इसमें भारत के लोकतांत्रिक ढांचे, चुनाव प्रक्रिया और राजनीतिक दलों की भूमिका को स्पष्ट किया गया है।
5. लक्ष्मण राव (2024),"भारतीय राजनीति एवं मौलिक सिद्धांत", लेखक लक्ष्मण राव द्वारा लिखित एक उत्कृष्ट पुस्तक है, जो भारतीय राजनीति और उसके मौलिक सिद्धांतों पर गहन प्रकाश डालती है। यह पुस्तक राजनीतिक विचारधारा, लोकतंत्र, संविधान, और मानवाधिकार जैसे विषयों का सटीक विश्लेषण प्रस्तुत करती है। लेखक ने भारतीय और पाश्चात्य राजनीतिक विचारों का तुलनात्मक अध्ययन भी शामिल किया है।

प्रधानमंत्री की शक्तियों की संवैधानिक सीमाएं:

प्रधानमंत्री भारत के संसदीय लोकतंत्र में सबसे शक्तिशाली पद पर आसीन होते हैं। उनकी भूमिका कार्यपालिका के प्रमुख और सरकार के नीति–निर्धारक के रूप में होती है। हालांकि संविधान ने प्रधानमंत्री को व्यापक अधिकार दिए हैं, फिर भी उनकी शक्तियां पूरी तरह से असीमित नहीं हैं। भारतीय संविधान और लोकतांत्रिक परंपराएं प्रधानमंत्री की शक्तियों पर कई प्रकार की सीमाएं निर्धारित करती हैं, ताकि लोकतंत्र में संतुलन और पारदर्शिता बनी रहे। प्रधानमंत्री की शक्तियों पर पहली संवैधानिक सीमा राष्ट्रपति के रूप में लागू होती है। प्रधानमंत्री को मंत्रिपरिषद का नेतृत्व करना होता है और उनकी सलाह पर राष्ट्रपति कार्य करते हैं, लेकिन राष्ट्रपति के पास प्रधानमंत्री के निर्णयों की समीक्षा का संवैधानिक अधिकार होता है। विशेष रूप से, आपातकालीन परिस्थितियों में राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सिफारिशों को खारिज या विलंबित कर सकते हैं। दूसरी सीमा संसद के प्रति प्रधानमंत्री की जवाबदेही है। अनुच्छेद 75 के तहत मंत्रिपरिषद, जिसमें प्रधानमंत्री शामिल होते हैं, सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है। यदि संसद में प्रधानमंत्री या उनकी सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाए, तो उन्हें पद छोड़ना पड़ता है। इससे प्रधानमंत्री की शक्तियों को नियंत्रित रखने का एक महत्वपूर्ण तंत्र स्थापित होता है। तीसरी संवैधानिक सीमा न्यायपालिका द्वारा लागू की जाती है। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को न्यायिक समीक्षा का अधिकार है, जिसके तहत वे प्रधानमंत्री के किसी भी असंवैधानिक या मनमाने निर्णय को रद्द कर सकते हैं। यह सुनिश्चित करता है कि प्रधानमंत्री संविधान की सीमाओं के भीतर कार्य करें। प्रधानमंत्री की शक्तियों पर विपक्ष की भी बड़ी भूमिका होती है। एक मजबूत विपक्ष प्रधानमंत्री और सरकार की नीतियों और कार्यों की कड़ी आलोचना कर सकता है और उन्हें जनता के समक्ष जवाबदेह बना सकता है। इसके अलावा, मीडिया और नागरिक समाज भी प्रधानमंत्री की शक्तियों को संतुलित करने में अहम भूमिका निभाते हैं। अंत में, गठबंधन सरकारों के समय प्रधानमंत्री की शक्तियां और अधिक सीमित हो जाती हैं। उन्हें विभिन्न राजनीतिक दलों की विचारधाराओं और मांगों को संतुलित करना पड़ता है। इस प्रकार, प्रधानमंत्री की शक्तियां व्यापक होने के बावजूद संवैधानिक, लोकतांत्रिक और राजनीतिक सीमाओं के अधीन रहती हैं। यह सुनिश्चित करता है कि प्रधानमंत्री का पद लोकतंत्र के मूल सिद्धांतों और संवैधानिक मर्यादाओं का पालन करते हुए संचालित हो।

प्रधानमंत्री के पद की आलोचना:

भारत में प्रधानमंत्री का पद संवैधानिक दृष्टि से अत्यधिक शक्तिशाली और प्रभावशाली है, लेकिन इस पद पर कई बार आलोचना भी की जाती है। एक प्रमुख आलोचना यह है कि प्रधानमंत्री के पास अत्यधिक केंद्रीयकरण की प्रवृत्ति हो सकती है, जिससे सत्ता का समुचित वितरण प्रभावित होता है। जब प्रधानमंत्री अपनी शक्तियों का अत्यधिक उपयोग करते हैं, तो यह संसद, न्यायपालिका और अन्य संस्थाओं के स्वतंत्र कार्यों को सीमित कर सकता है, जिससे लोकतंत्र की प्रणाली कमजोर हो सकती है। गठबंधन सरकारों के दौर में, जहां प्रधानमंत्री को विभिन्न दलों और उनके नेतृत्व को संतुलित करना पड़ता है, इस स्थिति में

उनकी शक्तियां अक्सर सीमित हो जाती हैं। ऐसे समय में प्रधानमंत्री की नेतृत्व क्षमता और निर्णायक शक्ति पर सवाल उठाए जाते हैं। इसके अलावा, प्रधानमंत्री के व्यक्तिगत निर्णयों और नेतृत्व शैली पर भी आलोचना होती है। कभी–कभी उनके निर्णय विपक्ष और मीडिया द्वारा आलोचित होते हैं, जो उन्हें लोकतांत्रिक संस्थाओं और जनमत के प्रति पूरी तरह से जवाबदेह नहीं मानते। यह आलोचना लोकतांत्रिक शासन के अधिकार और मर्यादाओं के संदर्भ में महत्वपूर्ण है। इन आलोचनाओं के बावजूद, प्रधानमंत्री का पद भारतीय राजनीतिक प्रणाली का केंद्रीय तत्व बना रहता है, जो राष्ट्र के विकास और स्थिरता में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।

निष्कर्ष:

भारत में प्रधानमंत्री का पद संवैधानिक रूप से शक्तिशाली और व्यवहारिक रूप से अत्यधिक प्रभावशाली है। प्रधानमंत्री का कर्तव्य न केवल सरकार की नीतियों को आकार देना है, बल्कि संविधान के दायरे में रहकर देश के प्रशासन और शासन की दिशा को तय करना भी है। भारतीय संविधान में प्रधानमंत्री की शक्तियां स्पष्ट रूप से परिभाषित की गई हैं, जो उन्हें मंत्रिपरिषद का नेतृत्व करने, सरकार के निर्णयों का समन्वय करने और संसद में सरकार का प्रतिनिधित्व करने की अनुमति देती हैं। प्रधानमंत्री को राष्ट्रपति की सलाह पर कार्य करना होता है, और वे संसद के प्रति उत्तरदायी होते हैं। हालांकि, प्रधानमंत्री की वास्तविक शक्तियां केवल संवैधानिक प्रावधानों तक सीमित नहीं होतीं। प्रधानमंत्री की प्रभावशीलता और शक्ति का आकलन संसदीय बहुमत, राजनीतिक परिप्रेक्ष्य और व्यक्तिगत नेतृत्व क्षमता पर निर्भर करता है। मजबूत बहुमत और संसदीय समर्थन प्रधानमंत्री को नीतियों को प्रभावी रूप से लागू करने का अवसर प्रदान करते हैं, जबकि गठबंधन सरकार के दौरान उनकी शक्तियां सीमित हो सकती हैं। व्यक्तिगत नेतृत्व शैली, करिश्मा और लोकप्रियता भी प्रधानमंत्री की वास्तविक शक्तियों को आकार देती हैं, क्योंकि वे जनमत और विपक्षी दलों के दबाव को झेलते हुए निर्णय लेते हैं। प्रधानमंत्री की शक्तियों पर संवैधानिक और लोकतांत्रिक सीमाएं भी लागू होती हैं। राष्ट्रपति की भूमिका, न्यायिक समीक्षा और संसद के प्रति जवाबदेही जैसी संस्थाएं प्रधानमंत्री की शक्तियों को संतुलित करती हैं। इसके अतिरिक्त, प्रधानमंत्री की भूमिका में निरंतर बदलाव और समय के साथ विकसित होने वाली राजनीतिक परिस्थितियाँ भी उनकी शक्तियों पर प्रभाव डालती हैं। अंततः, भारतीय प्रधानमंत्री का पद संवैधानिक, राजनीतिक और व्यक्तिगत शक्तियों का संयोजन है, जो सरकार के समुचित संचालन और लोकतांत्रिक सिद्धांतों के संरक्षण के लिए आवश्यक ळें

संदर्भ ग्रंथ सूची:

- आर. डी शर्मा,"भारतीय शासन एवं राजनीति", रावत प्रकाशन नई दिल्ली, 2023 ।
- प्रसाद महेंद्र सिंह,"भारतीय शासन और राजनीति, ओरिएंट ब्लैक्सवान प्रकाशन, 2019।
- गुप्ता डीसी,"भारतीय सरकार और राजनीति", एस चंद प्रकाशन, नई दिल्ली, बी. एल फढ़िया,"भारतीय शासन एवं राजनीति", साहित्य भवन प्रकाशन, 2020।
- अवस्थी ए.पी,"भारतीय शासन एवं राजनीति", लक्ष्मी नारायण अग्रवाल प्रकाशन, नई दिल्ली, 2020।
- जैन पुखराज,"भारतीय शासन एवं राजनीति", साहित्य भवन प्रकाशन 2022।
- सेंगर शैलेंद्र,"भारतीय शासन एवं राजनीति", अटलांटिक प्रकाशन, 2022 ।
- राव लक्ष्मण,"भारतीय राजनीति एवं मौलिक सिद्धांत", भारतीय साहित्य कला प्रकाशन, नई दिल्ली, 2024।